खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 08/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम चम्पालाल

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 08/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/12

सायल :–		गैर सायल :–
आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी	बनाम	चम्पालाल पुत्र श्री मांगीलाल मैसर्स अमृत प्रोविजन स्टोर गांधी चौराहा सुमेरपुर जिला पाली राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थिति :– 1. गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत

–:निर्णय:–

दिनांकः 26.12.2024

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 17.01.2023 को दर्ज किया गया है। सायल आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली दिनांक 14.10.2022 को श्री चम्पालाल पुत्र श्री मांगीलाल मैसर्स अमृत प्रोविजन स्टोर गांधी चौराहा, सुमेरपुर जिला पाली पहूचें। गैरसायल को सायल ने अपना परिचय पत्र दिखाकर गैर सायल द्वारा आम जनता के उपयोग हेतु बेसन जो कि विक्रय हेतु रखा हुआ था का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया।

मैसर्स का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां पर दुकान में 08–10 किलो बेसन बेचने हेतु रखा हुआ था जिसको एफएसएस एक्ट के तहत जांच हेतु देखा तो मुझे इसमे मिलावट का शक हुहा इसलिए रुबरु गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया दूसरे प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत ले रहा हूं। रुबरु गवाह के सामने विक्रेता को रुपये 60/– नगद देकर 02 किलोग्राम बेसन को जांच हेतु खरीदा तथा रुपयों की रसीद प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर नाम पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गए। चारो नमूनो को अलग–अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनो किनारों को गोंद से चिपकाया चार पेपर स्लिप हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी पाली नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई, एवं चारो नमूनों पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर दिनांक वस्तु का नाम एवं स्थान डाले गये परिरक्षक की मात्रा अंकित किया अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 08/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम चम्पालाल

क्रॉस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूनों को सीलबंद अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार कर पढकर समझाकर होश हवास में मैंने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किए। जिस सील से नमूना सील चपडी किया उसका मोनोग्राफ मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैंने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, उस समय वहां 4–5 व्यक्ति भी मौके पर मौजुद थे, को सरकारी गवाह बनने के लिए कहा,पर गवाह बनने को कोई तैयार नहीं हुआ। अतः मैंने सरकारी गवाह श्री ओमप्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को बनाया

नमूने के एक सीलबंद भाग को फॉर्म नम्बर 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वही सील नमूना अंकित था जो मैंने नमूना लेते समय काम मे ली थी एक आउटर कवर में बन्द कर नाम पते लिख कर अगले कार्यदिवस को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। फॉर्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से जिस पर वही सील अंकित थी जो मैंने विक्रेता के सामने नमूना लेते समय लगाई थी एक सीलबंद लिफाफे में बंद कर गोपनीय करके खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को बंद लिफाफा दिया व रसीद प्राप्त की। नमूने के तीन भाग फॉर्म नम्बर 6 की तीन प्रतियों के साथ जिस पर वही सील अंकित की जिसके द्वारा नमूना सील किया एक आउटरकवर को सील बन्द कर मैंने स्वयं अभिहित अधिकारी, पाली को अगले कार्यदिवस को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। अभिहित अधिकारी, पाली के पत्रांक द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया नमूना निर्धारित मानक का नहीं होने के कारण अवमानक होना पाया गया। अतः श्री चम्पालाल पुत्र श्री मांगीलाल मैसर्स अमृत प्रोविजन स्टोर गांधी चौराहा, सुमेरपुर जिला पाली ने एफएसएसए की धारा 26 की उपधारा (2) का उल्लंघन किया है, जो कि एफएसए एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। नियत दिनांक को गैरसायल मय अधिवक्ता उपस्थित हुए व आरोपो को सुन व समझकर कथन किया कि गैर सायल मैसर्स अमृत प्रोविजन स्टोर के नाम से किराणा की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान से बेसन का जो नमूना लिया है वह मेरे खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट/माल नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो बेसन का नमूना वास्ते जांच हेतु लिया गया उक्त बेसन के नमूने में अन्यत्र कहीं मिलावट कर मुझ प्रार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर झुठा फसाकर उपर्युक्त उनवान का प्रकरण दर्ज करवाया गया है। मेरे द्वारा उक्त प्रोडक्ट में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अतः मुझ प्रार्थी के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है जिसको निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर ने अपनी रिपोर्ट नम्बर/Report No.L.S./1778/Act/2022/1767 Date : 28.10.2022 में The Sample of Besan Bearing Code No. And Sr. No. R-1558 of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Pali is **Sub-Standard** as it does not conform to prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. पाया गया।

परिणाम स्वरुप सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) के तहत् स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल द्वारा Sub- Standard प्रकृति की खाद्य सामग्री का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/–अक्षरे दस हजार रुपये

अति. जिला कलक्टर
(प्र.) पाली

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 08 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम चम्पालाल

शास्ति अधिरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि सायल को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.08 / 2024 / 2024 / दिनांक :

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. श्री आनन्द कुमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

Scanned with OKEN Scanner